

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 01 मार्च, 2019

विषय:- स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर के क्षतिग्रस्त चाहर दीवारी हेतु के निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-981/अवसथ0सुवि0अनु0पत्रा0/2018-19/दे0दून, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर के क्षतिग्रस्त चाहर दीवारी हेतु के निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य को कराये जाने सम्बन्धी सिंचाई खण्ड लोहाघाट चतुर्थ उपखण्ड, टनकपुर, जनपद-चम्पावत द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन एवं लागत ₹ 5,81,458 रूपये है, पर विभागीय निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, लोहाघाट (चम्पावत) की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 5.81 लाख के कार्य को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून को नामित/कराते हुए उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 5.81 लाख (₹ पांच लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11-लेखाशीर्षक-4202-खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-09-अवस्थापना सुविधाओं का अनुसूचक-24-वृहत निर्माण कार्य मद हेतु अनुदान फंड के नामें डाला जायेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-182(म0)/XXVII(3)/2018-19, दिनांक 27 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक :- अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-51903110002, दिनांक 01 मार्च, 2019

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 129/VI/2019-21(06)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चम्पावत।
4. जिला क्रीडाधिकारी, चम्पावत/उप क्रीडा अधिकारी, स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर।
5. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून/चम्पावत।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।